

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 909 / 2022 दिनांक : 11.03.2022

श्री राकेश कटारा (RJ0282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 15.02.2022 से 16.02.2022 तक 02 दिनों उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 17.02.2022 से 23.02.2022 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश ।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई ।

अज्ञा से

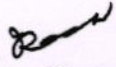
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/43/1996/2020

दिनांक : 11.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 36 दिनांक 24.02.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री राकेश कटारा (RJ0282), विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा ।


सहायक रजिस्ट्रार